न्यायाधीशों के लिए प्रबंधन उपकरण.

- इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण

- केस सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर CIS NC 3.2

  सभी न्यायालयों में केस सूचना प्रणाली (CIS NC3.2) स्थापित की गई है
  रामानगर इकाई.
  केस सूचना प्रणाली में निम्नलिखित केस प्रबंधन उपकरण उपलब्ध हैं।

- डैश बोर्ड
- आज के मामलों और लंबित मामलों की सूची
- विलंब कारण स्थिति
- एकीकृत एवं राष्ट्रीय संहिता
- कार्यवाही रिपोर्ट:
    - सिविल वाद सूची
    - आपराधिक वाद सूची
    - निपटान रिपोर्ट
- अत्यावश्यक मामला विकल्प।
- उन्नत कैलेंडर सुविधा
- क्वेरी खोज (क्वेरी बिल्डर)
- मध्यस्थता मॉड्यूल
- लोक अदालत मॉड्यूल
- सारांश रिपोर्ट
    - जिला एक नजर में रिपोर्ट
    - वरिष्ठ नागरिक मामले और महिलाओं द्वारा दायर मामले।
    - अदिनांकित मामलों की रिपोर्ट।
    - निपटान एवं संस्था रिपोर्ट।
- प्रबंधन रिपोर्ट
    - लंबित निगरानी
    - निपटान निगरानी
    - बैलेंस शीट
    - वाद सूची सिविल/आपराधिक
    - जजवार लंबित मामले सिविल/फौजदारी
    - जजवार मासिक रिपोर्ट सिविल/फौजदारी
    - यूनिट वार आईए निपटान सिविल/आपराधिक
    - इकाईवार सिविल/आपराधिक निपटान
    - विवादित निपटान रिपोर्ट सिविल/आपराधिक
- सूचीबद्ध मामले
- लंबित रिपोर्ट
    - न्यायालय वार
    - स्टेज वाइज
    - लंबित मामले की प्रकृति
    - पार्टीवार
- मासिक विवरण
- यूनिट विवरण

एनजेडीजी (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके केस प्रबंधन:

- ❖ न्यायिक डेटा ग्रिड सार्वजनिक पोर्टल (njdg.ecourts.gov.in) पर पेंडेंसी, फाइलिंग और निपटान के आंकड़े नेशनल उपलब्ध हैं।
- ❖ न्यायाधीश एनजेडीजी पर उपलब्ध आंकड़ों और आंकड़ों का उपयोग कर उनके न्यायालय कार्य का प्रबंधन सकते हैं।

एनजेडीजी पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

पिछले महीने निपटाए गए मामले।

पिछले माह में दर्ज मामले।
पिछले महीने निपटाए गए मामले (10 वर्ष से अधिक पुराने)

- ➢ पूर्व पंजीकरण मामले।

आपत्तिाधीन मामले।
अस्वीकृति के तहत मामले।
लंबित मामलों का पंजीकरण।

- ➢ लंबित मामले।

10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामले।
लंबित मामले (5 से 10 वर्ष के बीच)
लंबित मामले (2 से 5 वर्ष के बीच)
2 वर्ष से कम लंबित मामले।
कुल लंबित मामले।

- ➢ श्रेणीवार लंबित मामले।

वरिष्ठ नागरिक.
महिलाओं द्वारा दायर।

- ➢ निगरानी अलर्ट

आज सूचीबद्ध मामले।
अदिनांकित मामले।
अत्यधिक दिनांकित मामले (3 महीने से अधिक)
कुल न्यायाधीश/न्यायालय।

- ➢ उपरोक्त जानकारी राज्य, जिला, स्थापना और न्यायालय/न्यायाधीश के साथ पूरे देश को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कर दी गई है।
  अपलोड किए गए निर्णय और आदेश भी डाउनलोड किए जा सकते हैं एक बार व्यक्तिगत ,न्यायालय/न्यायाधीश तक आंकड़ों का गहन अध्ययन किया जाता है।

Ecourts.gov.in पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके केस प्रबंधन: केस स्थिति/आदेशों एवं निर्णयों की प्रतियां/कॉज लिस्ट
वेबसाइट Ecourts.gov.in पर ।
इस वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

मामले की स्थिति: मामले की स्थिति की जाँच की जा सकती है
मुकदमे का केस नं.
एफआईआर नंबर।
पार्टी का नाम.
वकील का नाम.
केस की फाइलिंग संख्या।
अधिनियम के नाम.

केस प्रकार के अनुसार।

न्यायालय के आदेश: न्यायालयों द्वारा अपलोड किए गए निर्णय और आदेशनिम्नानुसार डाउनलोड किया जा सकता हैं

केस का केस नंबर.

उस न्यायालय का न्यायालय क्रमांक जिसने आदेश/निर्णय पारित किया।

पार्टी का नाम.

ऑर्डर दिनांक.

वाद सूची : न्यायालयों के दैनिक बोर्ड देखे जा सकते हैं , इस वेबसाइट पर पहले से ही अपने न्यायालयों की वाद सूची जज देख सकते हैं,और योजना बना सकते हैं , उनके काम का प्रबंधन कर सकते है |

मोबाइल एप्लिकेशन (ईकोर्ट सेवाएँ):

- निःशुल्क एंड्रॉइड/आईओएस आधारित मोबाइल एप्लिकेशन माननीय ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है यह मोबाइल एप्लीकेशन Google Play Store/Apple Store से किसी के द्वारा भी डाउनलोड हो सकता है
- इस मोबाइल एप्लिकेशन पर केस की जानकारी और केस की स्थिति देखी जा सकती है

सीएनआर (केस नंबर रिकॉर्ड) के अनुसार प्राप्त किया गया और क्यूआर कोड को स्कैन किया गया

- केस की स्थिति केस संख्या, पार्टी का नाम, फाइलिंग के अनुसार प्राप्त की जा सकती है एफआईआर नंबर, वकील, केस का प्रकार या अधिनियम के अनुसार। किसी कोर्ट की वाद सूची देखी जा सकती है |
- ☐ मोबाइल एप्लिकेशन में खोजे गए केस को 'मेरा मामला ' के रूप में सहेजने का विकल्प होता है एक बार किसी मामले को 'मेरा मामला' के रूप में सहेजने के बाद मामले की स्थिति जानने के लिए उसका विवरण होना आवश्यक नहीं है
- कहीं भी कुछ भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश इस सुविधा का उपयोग अर्जेंट या ओल्ड या टाइम बाउंड या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले के लिए कर सकते हैं।

.